महिलाओं के विकास में समाज व सरकार की भूमिका राजधानी क्षेत्र (एन सी आर) के विशेष संदर्भ में (बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं–अभियान मात्र एक पहल)

डॉ० हेमलता
असिस्टेंट प्रोफेसर
सुभारती यूनिवर्सिटी, मेरठ
ईमेलः dr.hemlata717@gmail.com

''बेटियों का अपमान समाज के पतन का कारण है बेटियों को हम जो संस्कार देगे समाज का निर्माण वैसा ही होगा''

किसी भी राष्ट्र के सम्मान में महिलाओं का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीनकाल से ही भारत में नारी को देवी एवं माता स्वरूप माना गया है। नारी का विकास राष्ट्र का विकास है आदिकाल से ही नारी की सम्मानपूर्ण छवि रही है किन्तु मुगलकालीन शासन में उसके उपर अनेक पाबंदियां एवं शोषण को हम नकार नहीं सकते यदि महिलाओं से सम्बन्धित सुरक्षा कानून ना होते तो महिलाओं की स्थिति मुगलकालीन शासन व्यवस्था से कही बदतर होती क्योकि जैसे–जैसे समाज ने विकास किया है वैसे–वैसे ही महिलाओं के प्रति समाज में अपराध भी बढे है बीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में स्त्रियों की शिक्षा एवं कानून पर ध्यान दिया तथा 1882 ई. में हण्टर आयोग में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया तथा 1829 में सती निशिद्ध 1856 में विधवा पुर्नविवाह अधिनियम 1954 सिविल मैरिज एक्ट 1956 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में ही स्त्रियों पर अनैतिक व्यापार में अधिनियम महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपने गौरव का परचम देश में ही नहीं विदेशों में भी फहराया है लेकिन बावजूद इसके महिलाओं पर हो रहे अपराधों को हम नकार नहीं सकते बलात्कार, दहेज प्रथा घरेलू हिंसा द्वारा महिलाओं की स्वतन्त्रता पर सवालिया निशान है गाजियाबाद एन सी आर के आकडों के अनुसार एक हजार पुरूषों पर 890 बालिकाएं है ये भारतीय समाज की विडंबना है नारी को माता के गर्भ से ही अपने अस्तित्व की लडाई लडनी पड़ रही है।

जिले में लिंगानुपात का यह आकडे चिंताजनक है आज भी समाज में महिलाओं की स्वतन्त्रता पर पुरूष प्रधान सोच हावी है सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा हेतू अनेक कानून एवं हेल्प लाइन एवं अनेकों योजनाओं का संचालन किया है किन्तु इनका लाभ कम क्षेत्र तक ही सीमित है लाभ से वंचित रहने का कारण अशिक्षा गरीबी और मर्यादा का भय तथा समाज में नारी के प्रति अपेक्षित व्यवहार है। सुरक्षित एवं सरल समाज की कल्पना तभी साकार हो पाएगी जब महिलाएं स्वयं आत्मनिर्भर एवं शिक्षित बने तथा समाज को महिलाओं के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। आज हालात ऐसे है कि या तो बेटियों की भ्रूण में ही हत्या कर दी

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 10.02.2023
Approved: 20.03.2023

डॉ० हेमलता

महिलाओं के विकास में समाज व सरकार की भूमिका राजधानी क्षेत्र (एन सी आर) के विशेष संदर्भ में (बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं–अभियान मात्र एक पहल)

RJPP Oct.22-Mar.23, Vol. XXI, No. I,

pp.075-082
Article No. 10

Online available at *:*
https://anubooks.com/rjpp-2023-vol-xxi-no-1

जाती है तो कहीं कुडे के ढेर में उसे मरने के लिए छोड दिया जाता है समाज की आधूनिकता और इंटरनेट अन्य व हाइटेक जीवन में जहाँ सर्वाधिक विचारों की क्रान्ति आई है वही महिलाओं की प्रति समाज क पुरूष प्रदान वाली सोच बदली नहीं है। सरकार ने इन्ही कारणों से ही महिला सशक्तिकरण जैसे प्रयासों पर जोर दिया है जिसके चलते 25 सितम्बर 2016 को बेटी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्यूकि बात बेटियों के अस्तित्व एवं सुरक्षा से जुडी है तो यदि लोग अपनी सोच नहीं बदलेगे तो बदलाव नहीं आने वाला अतः सोच को बदलना होगा योजनाओं के लाभ के साथ साथ शिक्षा व समाज का सहयोग तथा बेटियों की सुरक्षा का वादा हर नागरिक को करना होगा तभी विकास सम्भव है क्योकि जैसा भविष्य बेटियों का होगा वैसा ही समाज का भविष्य होगा।

प्रस्तावना

भारत में महिलाओं के विकास को लेकर अनेक प्रयास किए गए इसके प्रयासों में बढ़ोत्तरी तो हुई लेकिन साथ ही महिलाओं पर अत्याचार एवं असुरक्षा को नकारा नही जा सकता जब कोई समाचार का केन्द्रीय विषय बलात्कार हो जाए तो सम्पूर्ण समाज, मनोचिकत्सक एवं देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सरकारी आंकडो के अनुसार वर्ष 2014 में कुल मिलाकर 338954 स्त्रियों पर अत्याचार व अपराध के मामले पंजीकृत है। प्रति वर्श के हिसाब से भारत में बलात्कार के आंकडो में 35 से 36 हजार बढ़ोत्तरी हुई है।

थामॅसन रॉयटर्स फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक देश है जबकि 2011 में भारत चौथा सबसे खतरनाक देश है।

भारत में लैगिक असमानता को लेकर 18 अप्रैल 2018 को वाशिंगटन पोन्ट प्रकाशित शोध पटक आलेख टूँ मैनी मैन (Two many man) विषय चर्चा में जहाँ रूचिरा गुप्ता ने भारत की महिलाओं बच्चो पर दुखदायी तस्वीर पेश की जिसमें मानव तस्करी, जबरन वैश्यावृत्ति, बलात्कार, यौन दासता और घरेलू भेदभाव जैसे उत्पीडन का शिकार महिलाओं की दयनीय स्थिति पर कनाडा के अधिकांश श्रोताओं की ओर ध्यान आकृशित किया मानो यह हर भारतीय लडकी की स्थित हो जहाँ भारतीय लडकियों का स्कूली परीक्षाओं द्वारा बेहतर प्रदार्शन चाहे वह ओलपिंक खेल में महिलाओं द्वारा अर्जित ख्याति हो या मेडल हो भी हम नकार नही सकतें लेकिन विदेशी मिडिया ने 2018 को आकडो में यह प्रस्तुत जरूर कर दिया कि भरतीय देश महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे पहले नम्बर पर है। जबकि वर्ष 2010 में एक लाख की आबादी में भारत में 1.8 फीसदी बलात्कार की घटना हुई अमेरिका में 27.3 फीसदी। भारत में महिलाओं के पति होने वाले अपराधों की बढती संख्या या तो अधिक रिपोर्ट दर्ज कराने के कारण है या फिर सचमुच ऐसी घटनाओं में वृद्धि हुई है। यह एक जाँच का विषय है।

1930 के दशक में अमृता प्रीतम को अपनी खास शैली तथा महिलाओं के अनेक चित्रो का वर्णन के कारण उन्हे स्त्रीवादी सोच के रूप में प्रसिद्धि मिली 1930 में अमृता शेरगिल को भारतीय महिलाओं के दैनिक जीवन को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जिसमें स्त्रीयों के अकेलेपन व निराश की छवियाँ होती थी उनके चित्र खामोश संकल्प के प्रतीत होते थे। थ्री गर्ल्स (Three Girls) नामक की उदास पेंटिग के रूप में उन्हे याद किया जाता है। अपनी इस खास शैली और महिलाओं के अनेक चित्रों द्वारा उन्हे भारतीय फ्रिडा कोनलो कहा जाता है तथा स्त्रीवादी सोच के कारण उन्हे याद किया जाता है 1930 के दशक की चाहे व अकेलेपन से भरी उदास पेटिग आज 2018 में भी हमे महिलाओं

की दयनीय स्थिति का आभास कराती है। 2011 तथा 2018 के इस माहौल में भी भारत में महिलाओं के स्थिति अर्तराष्ट्रीय स्तर पर सबसे खराब पाया जाना भी भारत जैसे देश के लिए एक गंभीर समस्या है परन्तु जल्द ही इस नतीजो पर पहुचने वाली संस्था ने सर्वेक्षण द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जिसमें सर्वेक्षण का प्रथम बिंदू समाज में महिलाओं का स्वास्थ्य कैसा है? क्योकि स्वास्थ्य स्तर समाज से सम्बन्धित है। बेहतर जीवन स्तर समाज में अपराध को कम करता है अभी हाल ही मे भारत के मुजफ्फरपुर के संरक्षण ग्रह में 44 में से 34 लडकियाँ बलात्कार की शिकार हुई जिसमें सभी नाबालिग थी इस प्रकार की खबरे समाज से प्रश्न प्रस्तुत करती है कि क्या समाज हमेशा से ही इतना क्रूर रहा है या वर्तमान समाज में क्रूरता में वृद्धि हुई है पिछले कुछ सालों में इम पिछे जाने लगे है। अपराध किसने किया, अपराधी कौन है, अपराध किसके साथ हुआ, फिर से यह महत्वपूर्ण हो गया है ऐसी घटनाएं महिलाओं के विकास में हमेशा से ही बाधक रही है समानता का सिद्धान्त हमे एक सुरक्षित समाज एव बेहतर जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है तो ऐसी घटनाओं में कमी के नाम पर दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है इस प्रकार के मामले सरकार नेता प्रशासन के लिए कई अहम सवाल पैदा करते है। शायद आने वाला समय बहुत बर्बर होने वाला है जो स्त्रीयों को घरो में कैद करने के लिए मजबूर करेगा इसके लिए सरकार को शीघ्र ही महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए जो महिलाओं को पूर्ण सम्मान और स्वतन्त्रता के साथ बिना भय के एक विकसित समाज को जन्म देने में सहायक होगा।

मुजफ्फरपुर बिहार बलात्कार कांड जितना मर्मातक है उतनी ही विरोधी की बुंलद आवाज दिल्ली के जंतर मंतर पर स्वाभाविक थी जिसमें इस यौन हिंसा के खिलाफ राजद, विपक्षी दल एंव महिलाओं ने बढ चढकर बिहार सरकार के खिलाफ प्रर्दशन किया। जिसके फलस्वरूप नितिश कुमार ने दोशियों को सख्त सजा देने की बात कही बच्चियों से बलात्कार का यह अपराध व्यवस्था की विफलता का ही नमूना है। मुजफ्फरपुर का यह मामला अभी ठंडा भी नही पड़ा कि 6 अगस्त 2018 को ऐसे ही एक और घटना का खुलासा देवरिया के नारी संरक्षण गृह में पाया गया यहाँ भी 42 में से 24 लडकियाँ ही मौके पर पाई गई बाकी 18 लडकियों का कोई अता पता नही महिलाओं पर दिन प्रतिदिन अपराधों में वृद्धि के बावजूद सरकार सोई रही तो यह समाज व देश के लिए चिंता का विषय है।

सरक्षण गृहो में महिलाओं और लड़कियों के यौन उत्पीडन के मामले में एक संरक्षण गृह देवरिया की मान्यता रद्द कर दी गई थी। इसके बाद भी उन संरक्षण गृहों का संचालन किसकी शह पर किया गया। दरअसल इन सभी संरक्षण गृह एंव बालिका गृहों में कडें सुधार की आवश्यकता है।

बच्चियों के साथ दुष्कर्म और बलात्कार जैसी घटनाओं का ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली में संसद द्वारा दुष्कर्म और बलात्कार जैसी घटनाओं का ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली में संसद द्वारा दुष्कर्म के दोशियों को मौत की सजा देने का विधेयक पारित कर दिया इसके साथ साथ यौन अपराधों के विरोध में कानून को कठोर किया गया साथ ही 21 अप्रैल को घोषित अपराध कानून संशोधन अध्यादेश समाप्त हो गया है। 30 जुलाई 2018 को अपराध कानून संशोधन विधेयक को लोकसभा ने पास कर दिया था अब देखना यह है कि इस मौत की सजा से अपराधियों के मन में अपराध न करने का डर पैदा हो। क्या इस विधेयक से अपराधों में कमी आएगी ये भी एक चर्चा का विषय है।

वह देश आगे नही बढ़ सकता जिसकी आधी आबादी को भय के साथ जीना पड़े। महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध को लेकर प्रदेश सरकार जनता को लाख भरोसा दिलाए लेकिन यह कड़वी सच्चाई है कि आज भी महिलाएं सुरक्षित नही है। ना ही घर में और ना ही बाहरी वातावरण में। हिंसा रिसर्च के आकड़ों के अनुसार महिला सुरक्षा को लेकर 50 फीसदी लोग पुलिस पर भरोसा नहीं करते सबसे बुरी स्थिति संगम नगरी इलाहाबाद की है, जहाँ 70 फीसदी लोग पुलिस को भरोसा करने योग्य नहीं मानते।

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अविश्वास का आंकडा देखें तो लगता है कि यह अविश्वास छोटे व बड़े शहरों में बराबर है। छेड़खानी के मामलों में 88 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी एंव छेडखानी 65 प्रतिशत पीछा करना 54 प्रतिशत यौन उत्पीड़न 30 प्रतिशत के आकड़े सर्वाधिक पाए गये हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की असुरक्षा का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि यहाँ दिन में घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं में से सिर्फ 30 फींसदी ही अपने सुरक्षित महसूस करती है जबकि रात में केवल 19 फींसदी महिलाएं ही घर से बाहर सुरक्षित महसूस करती हैं चिंता की बात तो यह है कि जितने बड़े शहर हैं वे उतने ही अधिक असुरक्षित हैं ऐसा नहीं है कि छोटे शहर कम असुरक्षित हैं लेकिन बहु अपवादों को छोड़कर असुरक्षा का अहसास कम है। सर्वे में लोगों की राय के अनुसार (लखनऊ) और (इलाहाबाद) दिन कें वक्त महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित महसूस किये जाने वाले शहर हैं। जबकि रात के वक्त इन दोनों शहरों के साथ (आगरा) और (झांसी) का नाम भी जुड़ जाता है सर्वे में लोगों ने बताया कि दिन में बाहर निकलने वाली महिलाओं के लिए (झांसी) (वाराणसी) और (बरेली) अपेक्षाकृत कम असुरक्षित है, जबकि हर शहर के लोगों ने कहा कि महिलाओं के लिए रात के समय बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है और ऐसा इलाहाबाद के लोगों को 36 प्रतिशत तथा लखनऊ के लोगों को 28 प्रतिशत यौन उत्पीड़न का डर रहता है। उ0प्र0 के राज्य में (स्वस्थ सेवाए) 7.2 प्रतिशत, शिक्षा (प्राथमिक और उच्च) 6.7 प्रतिशत (पीने का पानी 6.3 प्रतिशत) सड़क 4.9 प्रतिशत स्वच्छता कचरा प्रबंधन/प्रदूषण 4.8 प्रतिशत, बिजली 4.6 प्रतिशत (महिला सुरक्षा 4.5 प्रतिशत) रोजगार के अवसर 4.4 प्रतिशत लोगों की राय के अनुसार संक्षिप्त आंकड़े इस प्रकार हैः–

परिवार की मर्यादा बचाने के लिए मां–बाप द्वारा अपनी ही बेटी की हत्या करने का ताजा उदाहरण जितना मर्माहत करने वाला है, उतना की स्तब्ध करने वाला तथ्य यह है, कि आनर किंलिग के मामलों में उ0 प्रदेश हरियाण, पंजाब राजस्थान में कठोर कानून बनाना अब समय की मांग है। आकड़ों के अनुसार 5000 हत्याएं दुनिया में हर वर्ष इज्जत के नाम पर होती है। 05 में से एक आम हत्या का मामला भारत में 12 आनर किलिंग होती है। ब्रिटेन में प्रतिवर्ष 1000 मामले भारत में –2,549 मामले प्रेम सम्बन्धों के कारण 2012 तक, 90 फीसदी मामले हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश में, समाज का एक तबका पुराने रीति रिवाजों से चिपका है। जो निजि स्वतंत्रता को कुछ नहीं मानता। जब हमने युवाओं को रोजगार एंव सरकार चुनने की आजादी दी है तो जीवन साथी चुनने की आजादी क्यों नहीं?

भारत में जनसंख्या बहुत तीव्रगति से फैल रही है लेकिन यह एक दुर्भाग्य है कि इस तीव्रगति से बढती जनसंख्या में लड़कियों का लिंगानुपात लड़को की तुलना में कम होता जा रहा है

आधुनिकीरण के कारण जहाँ व्यक्तियों की सोच में बदलाव आना चाहिए वहीं बेटियों के अपराध में भी वृद्धि देखी जा सकती है यदि इसी तरह बेटियों की जनसंख्या कम होती गई तो एक दिन देश भी नष्ट होने की स्थिति में होगा।

हमारे देश में महिलाओं से सम्बन्धित अनेक प्राकर के कार्यक्रम एवं योजनाओं को समय समय पर देश में लागू किया गया है। ये योजनाएं 30 जनवरी 2006 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के गठन द्वारा संभव हो सकी ताकि महिलाऐं समाज में सम्मान से जी सके। हिंसा भेदभाव से मुक्त स्वतन्त्रता पूर्वक सुरक्षित जीवन यापन कर सके। महिला एवं बाल विकास विभाग ने महिलाओं से सम्बन्धित निम्नलिखित अधिनियम् लागू किए जिसमें

1– आनैतिक व्यापर (निरोधक) अधिनियम, 1956 (1986 में संशोधित)
2– महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण निरोधक कानून 1986
3– दहेज निरोधक कानून 1961 (1986 में संशोधित)
4– सती प्रथा निरोधक अधिनियम,1987
5– शिशु दुग्ध विकल्प अधिनियम1992
6– बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006
7– राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990
8– घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005
9– बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005
10– बाल न्याय (सुरक्षा और संरक्षण) अधिनियम 2005

20 मार्च 2001 में महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति को लागू किया गया जिसमें महिलाओं की प्रगति एंव विकास के साथ हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागेदारी को सुनिश्चित करना था।

इसके पश्चात 2010–11 में राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम–सबला को लागू किया गया जिसमें 14 से 18 वर्ष की लडकियों को पोषक आहार उपलब्ध कराने का लक्ष्य इसलिए रखा गया ताकि वे शिक्षित होकर अपनी इच्छानुसार निर्णय ले सके और अपनी आने वाली संतान की देखभाल कर सकें।

शैक्षिक स्तर पर बेटियों की साक्षरता

13.6% 48.8% अंडर ग्रेजूएट स्टूडेट्स
छह से 14 साल की लडकियां है
लडकिया ही स्कूलों से दूर 40.7% पीएचडी स्टूडेंट्स भी
लडकियां
68.4%
महिलाएं साक्षर
(15 से 49 वर्ष की)

1951 में 100 लडकों पर 19 लडकियों को ही शिक्षा का अधिकार प्राप्त था

आज की वर्तमान स्थिति में यह संख्या 95 तक बढी है। जो महिलाओं के लिए बहुत बडी सफलता एवं समाज के लिए एक सीख है।

सेंकडरी शिक्षा में बेटियाँ

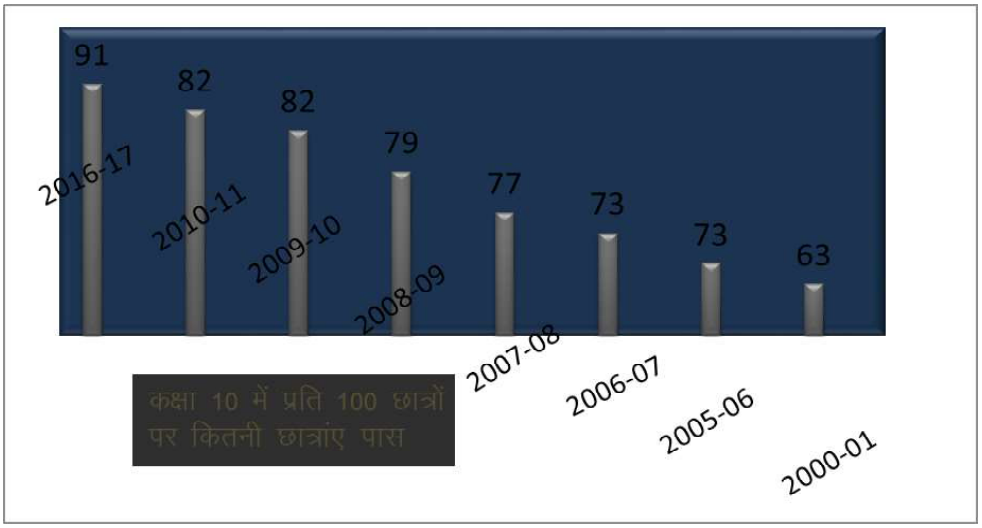

सेकेण्डरी स्कूलों में बेटियों के उत्तीर्ण होने के आंकडों में बहुत तेजी से विस्तार हुआ है साल 2000 में 100 लडकों में बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। साल 2000 में 100 लडकों के मुकाबले 63 लड़कियाँ दसवी कक्षा में पास हो पाती थी जबकि।

17 वर्षो में अब तक यह आंकडों में विस्तार आया है। यानि सेकेण्डरी से दसवीं पास करने में बेटियाँ बहुत आगे आ चुकी है।

आज वर्तमान में जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते है वहीं प्रति हजार पुरूषो पर महिलाओं की घटती संख्या चिंताजनक है लिंगानुपात का यह आंकडा बेटियों के जन्म लेने से जीवित बने रहने की स्थिति मापने तक ही सीमित रह गया है।

1– कन्या भ्रूण हत्या को रोकना।

2– बेटियों को समाज में एक स्थान देना

3– बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उददेश्य उत्तर प्रदेश में द्वारा समाज में सामाजिक बदलाव लाने व महिला विकास का अध्ययन करना है इन्ही तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है।

1– महिला सशक्तिकरण द्वारा बेटियों की सुरक्षा सम्बन्धी कानून का लाभ एवं महिला विकास कार्यक्रमों के द्वारा समाज का बेटियों के प्रति नजरिया।

2– उत्तर प्रदेश के विकास में महिलों की भूमिका एवं समाज के मध्य अर्न्तसम्बन्ध एवं समन्वय का अध्ययन करना ।

3– बेटी बचाओं बेटी पढाओं योजना द्वारा समाज की पहल तथा योजना से मिलने वाला लाभ एवं भविष्य में योजना द्वारा सफल परिणाम का विश्लेषण करना।

4– कन्या भ्रूण हत्या द्वारा महिला लिंगानुपात में कमी के कारण। भविष्य में भ्रूण हत्याओं द्वारा सामाजिक परिवेश में होने वाले दुष्परिणाम की विवेचना करना।

5– बेटियों की आत्मनिर्भरता शिक्षा सुरक्षा सम्बन्धी सरकार की प्रमुख नीतियाँ।

6– योजना के माध्यम से समाज में बदलाव तथा बेटियों की शिक्षा व भविष्य में उनकी सुरक्षा और दिन प्रतिदिन लडकियों के प्रति घिनोने अपराध जैसे–बलात्कार छेडछाड़ घरेलू हिंसा को रोकने का प्रयास करना।

7– सम्पूर्ण देश में योजना की सफलता एवं असफलता का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

संदर्भ

1. ए०के०, चतुर्वेदी., अग्रवाल, डॉ० रिकी. (2014). History of India. एस पी डी पब्लिकेशन्स प्रा०लि० पृष्ठ **194, 195.**
2. (2018). अमर उजाला. 7 मार्च. पृष्ठ **12.**
3. (2018). अमर उजाला. 8 मार्च. पृष्ठ **1, 12.**
4. (2018). अमर उजाला. 9 मार्च. पृष्ठ **13, 12, 17.**
5. (2017). विश्व बैक डवलपमेंट रिपोर्ट दिसम्बर।
6. (2017–18). इकानामी सर्वे ऑफ इण्डिया।
7. (2013–14). नेशनल हैल्थ फैमिली सर्वे।
8. स्टीव अर्ल यू एन एन सी आर पी एवम डढी।
9. (2013). डी डब्ल्यू ए के आंकडो के अनुसार।
10. चटर्जी, पत्रलेखा. (2012). अमर उजाला. 16 दिसम्बर. पृष्ठ **12.**
11. (2018). अमर उजाला. 29 मार्च. पृष्ठ **10.**
12. जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूटर फॉर वीमेन. पीस एंड सिक्यूरिटी।
13. (2018). अमर उजाला. 2 अगस्त. पृष्ठ **10.**
14. (2018). सुभाशिनी सहगल का लेख. अमर उजाला. 3 अगस्त. पृष्ठ **10.**
15. (2018). रविंदर कौर का लेख. अमर उजाला. 4 जुलाई. पृष्ठ **12.**
16. (2018). The new yourk time. अमर उजाला. 24 जून. पृष्ठ **12.**
17. (2018). अमर उजाला. 9 जुलाई. पृष्ठ **12.**
18. (2018). अमर उजाला. 7 अगस्त. पृष्ठ **1, 10.**
19. भट्ट, इला०आर०. (2006). आक्सफोर्ड यूनिर्वसिटी प्रैस।

20. महिलाओं द्वारा रात में नाईट शिफ्ट और भारत में महिला काल सैन्टर सम्बन्धी व्यवस्था।
21. पटेल, रीना. (2010). स्टेनफोर्ड यूनिर्वसिटी प्रैस. महिलाओं में जन्मजात एड्स तथा HIV/AIDS.
22. केटिस्बरना, प्रभा. (2011). भारत में महिला उच्च शिक्षा एवं पंसद एवं इरादे. प्रिन्सटेशन यूनिर्वसिटी।
23. सिंह, नर्नदता. (2008). फार्म आन पब्लिक पालिसी जनरल आफ दा आक्सफोर्ड राउन्ड टेबल. सिप्रिंग. भाारत में महिला कानून।
24. George., जय, शिला. Peer–reviewed publication on Questia.

    Are publications containing articles which were Subject To evaluation for accuracy and substance by professional peers Of the articles author(s) 24&Journal of marriage and family, vol. 66 no. 5, December 2004.

    Peer Reviewed Periodical

    Peer reviewed publicatons on Questia are publications Containing articles which were subject to evaluation. For accuracy and substance by professional peers of the article"s author(s) Particia Jeffery. Roger Jeffery. Westview press. 10996
25. Siva and her sister. (1995). gender, caste, and class in rural south India Karina Kapadia. Westview press.
26. faces of the feminine in ancient, medieval, and modern india. Mandakranta Bose.
27. Oxford University press. 2000 Women, education and family structure in India. Carol chapnick mukhopadhayay: Susan Seymour.
28. (2016). आंकडे. एन सी आर वी।
29. (1912–17). आईएएनएस।
30. सिंह, अनीता. (2017). वूमेन सेफ्टी गोआ इण्डिया।